

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2637
11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न
वितरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण

2637. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्रीमती भारती पारधी:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अपात्र लाभार्थियों तक लीकेज को कम करने और चोरी के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए पीडीएस लाभार्थियों का ईकेवाईसी पूरा हो गया है;
- (घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार तथ्य क्या हैं;
- (ङ.) डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के बाद पीडीएस प्रणाली से हटाए गए राशन कार्डों की संख्या विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी है;
- (च) क्या लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए सभी उचित दर की दुकानों को ईपीओएस उपकरण प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार तथ्य क्या हैं; और
- (छ) यदि नहीं, तो सभी उचित दर की दुकानों को ईपीओएस कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख) : तकनीकी सुधारों के एक भाग के रूप में, सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वितरण प्रक्रिया को पूर्णतः डिजीटल कर दिया है। पीडीएस के कंप्यूटरीकरण का राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 में दर्शाया गया है।

...2/-

(ग) और (घ) : वर्तमान में, देशभर में (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित) लगभग 65% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है। विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ई-केवाईसी शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है। पीडीएस लाभार्थी के ई-केवाईसी का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दर्शाया गया है।

(ड.) : वर्ष 2013 से टीपीडीएस प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के उपयोग अर्थात् राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लीकेट की पहचान, अपात्र रिकार्ड, मृत्यु, लाभार्थियों के स्थायी प्रवास, आदि के परिणामस्वरूप, सही प्रकार से लक्षित करने के लिए वर्ष 2013 से वर्ष 2024 (अभी तक) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित) ने लगभग 5.87 करोड़ राशन कार्डों को समाप्त कर दिया है। रद्द किए गए राशन कार्डों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(च) और (छ) : देश में (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित) बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) खाद्यान्नों के वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरण संस्थापित करके लगभग 99.63% उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दर्शाया गया है।

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1636 के भाग (क) और (ख) तथा (च) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अनुबंध-1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्याँरे का कंप्यूटरीकरण दर्शाने वाली विवरणी।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्डों को डिजिटल रूप देना	राशन कार्डों की सीडिंग का %	खाद्यान्नों का ऑनलाइन आबंटन	आपूर्ति शृंखला का कंप्यूटरीकरण	टोल-फ्री/ ऑनलाइन शिकायत निवारण	कुल उचित दर दुकान	ई-पीओएस उपकरणों के साथ प्रचालित
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	416	416
2	आंध्र प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	29,791	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	100%	81%	कार्यान्वित		Yes	1,680	1,680
4	असम	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	34,300	34,286
5	बिहार	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	50,951	50,951
6	चंडीगढ़	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ़	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	13,675	13,675
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	114	114
9	दिल्ली	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	1,993	1,993
10	गोवा	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	452	452
11	गुजरात	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	16,949	16,949
12	हरियाणा	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	9,434	9,434
13	हिमाचल प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	5,219	5,155
14	जम्मू और कश्मीर	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	6,737	6,737
15	झारखंड	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	25,228	25,228
16	कर्नाटक	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	20,403	20,325
17	केरल	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	13,913	13,905
18	लद्दाख	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	404	404
19	लक्षद्वीप	100%	100%	कार्यान्वित	लागू नहीं	हां	39	39
20	मध्य प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	27,377	27,127
21	महाराष्ट्र	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	52,642	52,642
22	मणिपुर	100%	100%	कार्यान्वित		हां	2,339	2,339
23	मेघालय	100%	73%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	4,735	4,727
24	मिज़ोरम	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	1,258	1,258
25	नागालैंड	100%	98%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	1,783	1,774
26	ओडिशा	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	12,044	12,044
27	पुडुचेरी	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पंजाब	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	18,150	18,150
29	राजस्थान	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	27,062	25,579
30	सिक्किम	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	1,312	1,312
31	तमिलनाडु	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	34,805	34,805
32	तेलंगाना	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	17,246	17,246
33	त्रिपुरा	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	2,057	2,057
34	उत्तराखंड	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	9,059	9,059
35	उत्तर प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	79,216	79,216
36	पश्चिम बंगाल	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हां	20,476	20,476
	राष्ट्रीय सारांश	100%	99.8%	34	31	हां	5,43,259	5,41,345

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1636 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अनुबंध-II

ई-केवाईसी की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड (आरसी)	एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थी	एनएफएसए के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जिनका ई-केवाईसी पूरा हो गया है
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17,081	58,976	55,854
2	आंध्र प्रदेश	89,35,523	2,68,29,998	2,34,27,655
3	असम	66,87,238	2,31,98,775	2,01,89,749
4	अरुणाचल प्रदेश	1,86,417	8,51,047	2,22,000
5	बिहार	1,98,36,448	8,36,64,760	5,32,57,673
6	चंडीगढ़ (डीबीटी)	84,862	3,56,177	37,661
7	छत्तीसगढ़	54,89,377	1,98,63,542	1,65,66,850
8	दिल्ली	17,40,840	72,77,995	74,216
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	58,852	2,72,132	1,89,971
10	हरियाणा	49,38,155	1,90,78,766	84,44,078
11	हिमाचल प्रदेश	7,55,345	30,03,619	24,28,462
12	गोवा	1,28,967	4,79,143	2,95,319
13	गुजरात	78,36,148	3,82,23,359	1,33,02,883
14	जम्मू और कश्मीर	16,63,398	66,35,141	55,34,453
15	झारखंड	61,08,119	2,64,02,102	53,04,981
16	कर्नाटक	1,13,61,527	4,01,97,668	3,91,23,880
17	केरल	41,96,866	1,53,87,119	89,36,042
18	लद्दाख	29,876	1,26,233	99,870
19	लक्षद्वीप	4,648	20,264	14,900
20	मध्य प्रदेश	1,28,95,616	5,51,07,869	3,70,06,995
21	महाराष्ट्र	1,65,69,761	6,84,01,826	93,61,623
22	मणिपुर	5,74,207	20,85,812	16,74,813
23	मेघालय	4,21,783	21,45,103	93,819
24	मिज़ोरम	1,76,390	7,04,220	7,01,682
25	नागालैंड	3,40,729	12,13,524	7,34,938
26	पुडुचेरी (डीबीटी)	2,06,580	7,01,147	-
27	राजस्थान	1,07,75,551	4,43,83,267	3,66,83,717
28	सिक्किम	97,618	3,81,949	3,38,731
29	तमिलनाडु	1,14,24,421	3,63,55,261	2,72,70,332
30	तेलंगाना	54,67,536	1,91,69,600	1,67,90,822
31	त्रिपुरा	6,07,536	24,38,072	15,06,579
32	पंजाब	40,22,478	1,54,77,683	1,01,43,806
33	ओडिशा	93,23,079	3,26,33,097	2,12,82,097
34	उत्तराखंड	13,97,689	60,80,620	25,20,196
35	उत्तर प्रदेश	3,53,96,824	15,04,83,085	9,24,11,742
36	पश्चिम बंगाल	1,38,87,156	5,97,55,347	5,32,29,266
	कुल	20,36,44,641	80,94,44,298	50,92,57,655

लोक सभा में दिनांक 11.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1636 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।
अनुबंध-III

वर्ष 2013 से वर्ष 2024 (अभी तक) रद्द किए गए राशन कार्डों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	आंध्र प्रदेश	43,68,125
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,142
3	अरुणाचल प्रदेश	21,040
4	असम	4,08,011
5	बिहार	13,81,584
6	चंडीगढ़	3,063
7	छत्तीसगढ़	15,16,532
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	15,027
9	दिल्ली	3,27,297
10	गोवा	1,74,496
11	गुजरात	8,15,734
12	हरियाणा	15,21,067
13	हिमाचल प्रदेश	79,569
14	जम्मू और कश्मीर	1,27,872
15	झारखंड	11,26,620
16	कर्नाटक	31,32,421
17	केरल	2,46,791
18	लद्दाख	702
19	लक्षद्वीप	1,568
20	मध्य प्रदेश	25,17,627
21	महाराष्ट्र	46,12,756
22	मणिपुर	95,245
23	मेघालय	15,123
24	मिज़ोरम	12,578
25	नागालैंड	51,952
26	ओडिशा	7,81,573
27	पुडुचेरी	1,09,306
28	पंजाब	7,59,558
29	राजस्थान	25,58,261
30	सिक्किम	29,278
31	तमिलनाडु	7,89,063
32	तेलंगाना	22,33,749
33	त्रिपुरा	2,00,665
34	उत्तर प्रदेश	1,93,54,572
35	उत्तराखंड	7,72,367
36	पश्चिम बंगाल	85,59,560
	सकल योग	5,87,22,894
